

कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर

—:कार्यालय आदेश:—

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक-शिविरा/माध्य/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ.-गणित /2016 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक - सामाजिक विज्ञान के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के पे मेट्रिक्स वेतन लेवल-11 के पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किए जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के पे मेट्रिक्स वेतन लेवल-11 में प्रोबेशन ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/-रु. प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/व.अ.- सा 0 वि 0/RPSC 2016/2018/825 (1-2) दिनांक 05.10.2018 के द्वारा नियुक्ति दी गई थी। इनका पदस्थापन परामर्श कैम्प के माध्यम से निम्नानुसार शर्तों के अध्याधीन किया जाता है:-

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि की कटौती नहीं होगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश ही देय होगा। (वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017)
5. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रैमुनेरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
6. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णय के अध्याधीन रहेंगे।

विद्यालय आवंटन के पश्चात सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :-


1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र एवं नियुक्ति पत्र पर अंकित फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करे।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं पाये जाने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
5. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।
6. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के हिन्दी विषय की परीक्षा का आयोजन दिनांक 01.07.2017 को किया गया। अतः यदि किसी भी अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशैक्षिक(यथा स्नातक/बी.एड./ एडिशनल) योग्यता परीक्षा तिथि के पश्चात की है, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण न करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र पुनः इस कार्यालय को लौटाने की व्यवस्था करावें।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। (प्रारूप संलग्न)



8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-ग/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। (प्रारूप संलग्न)
9. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबन्धी आशय का 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
10. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए। (प्रारूप संलग्न)
11. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। (प्रारूप संलग्न)
12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे। (प्रारूप संलग्न)

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरान्त पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.10.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे।

संलग्न- आदेश सं. 1



(बंशीधर गुर्जर)


उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

जोधपुर संभाग, जोधपुर

दिनांक:- 6/10/18

क्रमांक:- ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/व.अ.- सा0 वि0/RPSC 2016/2018/831(1)
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
8. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक को संबंधित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आज ही संबंधित विद्यालयों को भिजवाए जाने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
9. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति
10. संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक एवं पीईईओ
11. संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को प्रेषित किए जा चुके हैं, आपसी समन्वय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लें।
12. संबंधित आशार्थी
13. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
14. विभागीय वेबसाइट rajrsa.nic.in पर प्रकाशनार्थ।
15. रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

जोधपुर संभाग, जोधपुर

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) जोधपुर सम्भाग, जोधपुर

क्रमांक- ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/व.अ.- साठ वि०/RPSC 2016/2018/ 831

दिनांक 6/10/18

आदेश संख्या - 1

क्र.स.	मेरिट संख्या	अम्बर्धी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	वर्ग	व्यवस्थापन वर्ग		पदस्थापन स्थान	विवरण/नियत परिश्रमिक
1	1757	SARITA	GULJHARI LAL	07-10-1990	BC,WE, WD	GENF	WD	GUPS JAKHADO KI DHANI HARI OM NAGAR EKALKHORI(08150526501) OSIAN JODHPUR	नियत परिश्रमिक
2	1980	GEETA	JASWANT SINGH	01-04-1985	GE,WE, WD	GENF	WD	GUPS ACHAL SINGH KA BERA(08150308401) SHERGARH JODHPUR	नियत परिश्रमिक
3	2152	BHAWNA TANWAR	RAJKUMAR	10-08-1981	SC,WE, WD	SCF	WD	GOVT. UPS MAVA(08160216002) POKARAN JAISALMER	नियत परिश्रमिक
4	2191	MENA	BHANWAR LAL	12-03-1988	SC,WE, WD	SCF	WD	GUPS POKRANIYO KI DHANI(08170106601) SHIV BARMER	नियत परिश्रमिक
5	1028	MANJU	PRAMESHWAR LAL	30-06-1990	BC,WE	OBCF		GUPS TARDO KA TALA (08170710501) DHANAU BARMER	नियत परिश्रमिक
6	1056	POOJA JANGID	MADAN LAL JANGID	01-04-1994	BC,WE	OBCF		GGUPS SAIYO KA TALLA(08170700604) DHANAU BARMER	नियत परिश्रमिक
7	1074	GARIMA JANGID	RAMESHWAR LAL JANGID	10-07-1991	BC,WE	OBCF		GOVT UPS_MEADEWA(08160200501) POKARAN JAISALMER	नियत परिश्रमिक
8	831	ROHITASH	MUKH RAM KASANIYA	02-05-1987	BC	OBCM		GUPS NAIYO DARJYO KI DHANI(08170131801) SHIV BARMER	नियत परिश्रमिक
9	1336	VINOD KUMAR	PRITHVI RAJ	03-07-1989	SC	SCM		GOVT. UPS_SAVTAPAR(08160311303) SAM JAISALMER	नियत परिश्रमिक
10	1389	LUMBHA RAM	HEMA RAM	02-01-1991	SC	SCM		GUPS SODHO KI DHANI(08171206501) GUDAMALANI BARMER	नियत परिश्रमिक
11	1417	NAND KISHORE	CHITAR MAL	12-10-1983	SC	SCM		GUPS DUDHARIYA TALLA(08170900301) CHOHTTAN BARMER	नियत परिश्रमिक
12	1479	MAHENDRA KUMAR MEENA	MURARI LAL MEENA	11-07-1991	ST	STM		GUPS DUDIYO KI DHANI(08170926302) CHOHTTAN BARMER	नियत परिश्रमिक
13	1505	RAKESH KUMAR MEENA	GHANSHYAM MEENA	05-05-1991	ST	STM		GUUPS JAKHADON KI DHANI(08170929601) CHOHTTAN BARMER	नियत परिश्रमिक
14	1519	MUKESH KUMAR MEENA	JAGDISH MEENA	01-08-1993	ST	STM		GUPS GHARSANI(08171000205) GADRAROAD BARMER	नियत परिश्रमिक
15	1524	SURENDAR KUMAR MEENA	RAMSWROOP MEENA	17-09-1989	ST	STM		GOVT. UPS_JOGIDAS KA GAW(08160311604) SAM JAISALMER	नियत परिश्रमिक
16	1529	DINESH KUMAR MEENA	RAMPHOOL MEENA	15-08-1993	ST	STM		GUPS GIRLS JHANKAL(08171000113) GADRAROAD BARMER	नियत परिश्रमिक
17	1531	RAMAVTAR MEENA	PRAHLAD SINGH MEENA	24-03-1990	ST	STM		GOVT. GIRLS UPS_SULTANA(08160105805) JAISALMER	नियत परिश्रमिक
18	2098	RAMDEV	BUDH RAM	15-11-1973	BC,EX	OBCM	EX	GOVT. UPS_PHLEDI MESURIYA(08160308702) SAM JAISALMER	नियत परिश्रमिक

52/11

(बंशीधर गुर्जर)
उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
जोधपुर सम्भाग, जोधपुर